325

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06-मु0(एल0पी0ए0)-33/2009- 1947/खाद्य,पटना/ दिनांक- 29.3.2010

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषयः- एल0पी0ए0 संख्या- 947/2009, बिहार एवं अन्य बनाम बिहार किरोसिन डीलर्स एसो0 एवं अन्य (एराइजिंग आउट सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0- 10699/05) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि दिनांक 08.03.2010 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा विषयांकित याचिका में आदेश पारित कर विभागीय पत्रांक 2308 दिनांक 12.08.2005 को पुनर्बहाल कर दिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित दिनांक 19.12.2008 के अपने आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था ।

अतः विभागीय पत्रांक 2308 दिनांक 12.08.05 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

29/3/2010

प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक - प्र06-कि0 आ0-04/03- 2308 आ0 वा0, पटना/दिनांक - 12.8.2

प्रेषक,

अरूण झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना

विषय :- **किरासन तेल थोक विक्रेताओं को एक प्रतिशत (1%) लीकेज की सुविधा बंद करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 1045 दिनांक 01.04.03 द्वारा थोक विक्रेताओं को कमीशन के अतिरिक्त एक प्रतिशत लीकेज दिये जाने की सुविधा समाप्त कर दी गयी थी । विभाग द्वारा कमीशन के अतिरिक्त एक प्रतिशत लीकेज की सुविधा बंद कर दिये जाने के विरूद्ध किरासन तेल थोक विक्रेता संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या 3862/03 दायर किया गया । सुनवाई के क्रम में सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त पत्र के आलोक में विभाग से निर्गत पत्र 1045 दिनांक 01.04.03 को संशोधित करते हुए थोक विक्रेताओं को 0.25 प्रतिशत भंडार क्षति/लीकेज की सुविधा देने सम्बन्धी पत्रांक 3134 दिनांक 24.09.03 माननीय उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्गत किया गया । लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.09.03 को पारित आदेश में इस सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है कि " It is therefore reiterated that the statement made in the order dated 24.09.03, that it was issued on the basis of direction of this court is incorrect". सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 नं0 3862/2003 में दिनांक 25.09.03 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार किरासन डीलर्स एसोसियेशन, पटना से प्राप्त अभ्यावेदन पर सुनवाई दिनांक 07.07.05 को की गयी । सुनवाई के क्रम में उपलब्ध कागजातों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि किरासन तेल थोक विक्रेताओं को कमीशन के अतिरिक्त लीकेज की सुविधा देने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है ।

अतः विभागीय पत्रांक 3134 दिनांक 24.09.03 को वापस लेते हुये पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 1045 दिनांक 01.04.03 को पुर्नबहाल किया जाता है जिसके अनुसार किरासन तेल थोक विक्रेताओं को भंडारण क्षति/लीकेज के रूप में कोई सुविधा देय नही है ।

अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक 1045 दिनांक 01.04.03 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय । अगर कोई थोक विक्रेता अवैध तरीके से लीकेज के रूप में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से तेल की कटौती करता है, तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
अरूण झा
(अरूण झा 12.8.05
सरकार के सचिव ।
12/8/05

sec_6